

फंद अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

जिणेगलात

विपक्षी

गैरवादी

मुकदमा

वाड

पत्रावली संख्या

120/24

सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>2.2.26</p> <p>पत्रावली वादी अधिवक्ता एवं वकील जिणेगलात द्वारा उपस्थित होकर प्रा.पत्र क्र. 23 चिप। अपील द्वारा 15/1/26 प्रस्तुत कर प्रसिद्धी 39 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है इसलिए नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वाद विद्रो करने की अनुमति प्रदान कराई जावे।</p> <p>पत्रावली की अवलोकन किया गया) वकील संख्या 1 को उनके अधिवक्ता द्वारा पहचानी गया तथा वादी गण के द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र को स्वीकार कर विद्रो किए जाने निवेदन किया गया। पत्रावली वर्तमान में प्रा.पत्र 07R11 CPC के बहस हेतु नियत है।</p> <p>अतः आग्रहित में प्रा.पत्र 07R11 CPC आग्रहित में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पुनः नया वाद प्रस्तुत करने हेतु वादी को अनुमति प्रदान करते हुए विद्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी द्वारा वाद विद्रो किए जाने ले उली तब पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली पर प्रस्तुत होकर लखित समस्त प्रा.पत्र बिना गुणवगुण पर विचार किए निस्तारित किए जाते हैं। निर्णय से उज्जला सुनाया गया।</p> <p>प्रकरण फेजलपुरा होकर नंबर से 57 है।</p> <p>(र. नाईरुल)</p> <p>JAS</p> <p>उप खण्ड अधिकारी गिरवा, जिला-उदयपुर (राज.)</p>	<p>21/2/26</p> <p>21/2/26</p>